बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–

सं0सं0–ह0क0 (13) योजना (विद्युतकरघा)–02/2019

पटना, दिनांक– /2019

प्रेषकः

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से पर्रामशित

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में गया जिला स्थित सभी पावरलूम (लगभग 900) को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60% राशि की प्रतिपूर्ति एवं इस पर होने वाले अन्य व्यय हेतु ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में गया जिला स्थित सभी पावरलूम (लगभग 900) को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60% राशि की प्रतिपूर्ति एवं इस पर होने वाले अन्य व्यय हेतु ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. बिहार उद्योग संघ द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि गया जिला में विद्युतकरघा उद्योग पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा 70 उद्योगों को नोटिस एवं कुछ उद्योगों को सील भी कर दिया गया है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के प्रतिनिधि, चेम्बर ऑफ कॉमर्श के प्रतिनिधि और अध्यक्ष, बुनकर समिति के साथ विमर्श किया गया। बुनकरों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की फीस बहुत ज्यादा है। जिसके कारण बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के मापदण्डों का पालन करना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त के आलोक में निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये निर्धारित शुल्क का 60% राशि उद्योग विभाग वहन करेगा। ताकि पावर लूम उद्योग बन्द होने के कगार से वंचित हो सके तथा बुनकरों का रोजी रोजगार बरकरार रहे।

3. इस योजना के क्रियान्वयन एजेंसी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया होगें। आवेदक को प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के साथ अपना बैंक खाता विवरणी आई0एफ0सी0 कोड सहित संलग्न करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किये गये शूल्क का 60% राशि आवेदक के खाते में स्थानान्तरण की अनुशंसा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को ई–मेल द्वारा करेगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र बिना विलम्ब आवेदक के खाते में राशि स्थानान्तरित कर प्रतिवेदित करेगें।

4. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108, बिजली करघा उद्योग, 23–उद्योग विभाग, उप शीर्ष 0101 विघुत करघा योजना, विपत्र कोड–**23.2851.00.108.0101** राज्य योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0101.33.01, सब्सिडी मद् से विकलित होगा। जिसके लिए आय–व्ययक 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय लेखा पदाधिकारी हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय होगे जो स्वीकृत राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेंगे।

राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. योजना का लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, राम चरित्र पथ पटना की होगी। जो वित्त विभाग के पत्र सं0 को प्र0 विविध–06/2015–8599 दि0 01.10.2015 एवं 7280 दि0–14.09.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–ह0क0 (13) योजना (विद्युतकरघा)–02/2019 के पृष्ट– 04/टि0 पर दिनांक–11.01.2019 को प्राप्त है।

9. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– ह0क0 (13) योजना (विद्युतकरघा)–02/2019 के पृष्ट–05/टि0 पर दिनांक–16.01.2019 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दि0–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि(2) दि0–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दि0–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0 (13) योजना (विद्युतकरघा)–02/2019 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0 (13) योजना (विद्युतकरघा)–02/2019 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0 (13) योजना (विद्युतकरघा)–02/2019 359 पटना, दिनांक–17.01.19

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, गया/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक(तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) (स0)/योजना शाखा/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dilip kumar\2019\rambriksh\Sanction Order

(14)